R.K.
GROUP OF COLLEGE

Behind Kalwar Police Station, Kalwar, Jaipur (Raj.)

ASSIGNMENT

R.K. VIGYAN P.G. MAHAVIDHYALAYA

Affiliated to University of Rajasthan, Approved by Govt. of Raj.)

Kalwar Road, Kalwar, Jaipur (Raj.)

Website : rkgroupofcollege.com , Mob. No. : 9314501146

E-mail : hrshreebalajieducationsamiti@gmail.com

B.A. / B.Sc. / B.Com.

ASSIGNMENT WORK / MIDTERM TEST

Session 20 24 **- 20** 25

Semester IInd B.ADM.

Name of Student Rinku Kumawat **Father's Name** Mr. Bhomwar lal

Roll No. .... **Enrollment No.** ....

Year 2024-25 **Semester** IInd Semester

PAGE NO. .... DATE ....

FLP-2

Ques 1. प्रतिभू के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए ?

Ques 2. LLP समझौते के प्रकार एवं विषय-वस्तु पर चर्चा कीजिए ?

Ques 3. समझौता एवं अनुबन्ध के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए ?

PRIYANSHU

Teacher's Signature........................

Ques 1. प्रतिभू के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए ?

Ans **प्रतिभू का अर्थ :-** 'प्रतिभू' वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा प्रत्याभूति दी जाती है, प्रतिभू कहलाती है।

प्रतिभू के अधिकार :- प्रतिभू के अधिकारों को निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

प्रतिभू के अधिकार

- (1) मूलऋणी के विरुद्ध अधिकार
  - (i) प्रस्थापन का अधिकार
  - (ii) क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार
- (2) ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार
  - (i) प्रतिभूतियों के अधिकार
  - (ii) समायोजन का दावा करने का अधिकार
- (3) सह-प्रतिभू के विरुद्ध प्रतिभू के अधिकार
  - (i) जहाँ वे समान राशि के लिए समान ऋण के प्रतिभू है।
  - (ii) जहाँ वे विभिन्न राशियों एवं समान ऋण के लिए प्रतिभू है।

PRIYANSHU PUBLICATION

* प्रतिभू के अधिकारों का वर्णन :- प्रतिभू के अधिकारों का वर्णन नीचे निम्न प्रकार से है :-

(1) मूलऋणी के विरुद्ध अधिकार :- प्रतिभू द्वारा मूलऋणी के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकारों का लाभ प्राप्त किया जाता है।

(i) प्रस्थापन का अधिकार [धारा 140] :- भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत, ऋणदाता की भूमिका निभाने को प्रस्थापन के रूप में जाना जाता है।

जब एक प्रतिभू प्रत्याभूत ऋण जब देय हो जाता है या मूल ऋणी की चूक की स्थिति में प्रत्याभूत है, तथा ऋण का भुगतान कर देता है तो उसे मूलऋणी के विरुद्ध लेनदार के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

(ii) क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार [धारा 145] :- प्रत्याभूति के प्रत्येक अनुबन्ध में प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने के लिए मूल ऋणी द्वारा एक गर्भित वचन दिया जाता है, तथा प्रतिभू मूल ऋणी से

उस राशि को वसूल करने का अधिकार हकदार है, जो भी राशि उसने प्रत्याभूति के अन्तर्गत 'उचित प्रकार से भुगतान' की है।

(2) **ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार :-** ऋणदाता के विरुद्ध प्रतिभू के अधिकार निम्नलिखित हैं :-

(i) **प्रतिभूतियों के अधिकार [धारा 141] :-** एक प्रतिभू प्रत्येक उस प्रतिभूतियों के लाभ का हकदार होता है जो ऋणदाता के पास पास उस समय मूल ऋणी के विरुद्ध थी।

(ii) **समायोजन का दावा करने का अधिकार :-** उस में स्थिति जिसमें, ऋणदाता मूल ऋणी के दायित्व के भुगतान के लिए प्रतिभू के विरुद्ध वाद करता है, प्रतिभू को क्षतिपूर्ति या प्रति दावा लेने का अधिकार है, जो कि मूल ऋणी के पास ऋणदाताओं के विरुद्ध होता है।

(3) **सह-प्रतिभू के विरुद्ध प्रतिभू के अधिकार :-** सह-प्रतिभू वह होते हैं, जो दो या दो से अधिक

प्रतिभू के साथ ऋण की प्रत्याभूति देते हैं।

(i) जहाँ वे समान राशि के लिए समान ऋण के प्रतिभू हैं :- जब सह-प्रतिभू समान राशि तथा समान ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उन्हें समान रूप से अंशदान करना चाहिए।

(ii) जहाँ वे विभिन्न राशियों एवं समान ऋण के लिए प्रतिभू हैं :- यदि नियम कहता है कि प्रत्याभूति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन "प्रत्येक प्रतिभू को समान रूप से अंशदान करना चाहिए, (तथा किए गए दायित्व के अनुपात में नहीं)"

* प्रतिभू के दायित्व :- प्रतिभू के दायित्व निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

प्रतिभू के दायित्व

(1) प्रतिभू का दायित्व सह-व्यापक है।

(2) प्रतिभू का दायित्व भी सीमित हो सकता है।

(3) मूलऋणी के चूक होने पर तुरन्त उत्पन्न होता है।

(4) जहाँ ऋणदाता तथा मूलऋणी के मध्य मूल अनुबन्ध व्यर्थ या व्यर्थनीय है।

प्रतिभू के दायित्व का वर्णन :-

प्रतिभू के दायित्व का वर्णन नीचे निम्न प्रकार से है :

(1) **प्रतिभू का दायित्व सह - व्यापक है :-** प्रत्याभूति के अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रतिभू तथा मूलऋणी का दायित्व समान होता है। अनुबन्ध अधिनियम की धारा 128 प्रतिभू के दायित्व की प्रकृति तथा सीमा की व्याख्या करती है।

(2) **प्रतिभू का दायित्व भी सीमित हो सकता है :-** सिद्धान्त प्रतिभू का दायित्व मूलऋणी के साथ सह - व्यापक है, यह केवल उस स्थिति में लागू होता है, जहाँ प्रतिभू सम्पूर्ण ऋण का भुगतान करने का वचन देता है।

(3) **प्रतिभू का दायित्व मूलऋणी के चूक होने पर तुरन्त उत्पन्न होता है :-** मूलऋणी द्वारा चूक तुरन्त प्रतिभू के दायित्व को प्रकट करता है। जैसे ही मूलऋणी चूक करता है, प्रतिभू प्रत्याभूति राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

(4) प्रतिभू का दायित्व जहाँ ऋणदाता तथा मूलऋणी के मध्य मूल अनुबन्ध व्यर्थ है :-

प्रतिभू तथा मूलऋणी का दायित्व समान होना आवश्यक नहीं है। उनके विभिन्न दायित्व होते है जो विभिन्न अनुबन्धों से उत्पन्न होते है। प्रतिभू तथा ऋणदाता एक स्वतन्त्र अनुबन्ध में प्रवेश करते है, जो मुख्य अनुबन्ध का भाग नहीं होता है।

Ques 2. LLP समझौते के प्रकार एवं विषय-वस्तु पर चर्चा कीजिए ?

Ans **LLP समझौता :-** LLP समझौता LLP के साझेदारों या LLP और उसके नामित साझेदारों के मध्य एक औपचारिक अनुबन्ध है। यह नामित साझेदारों के एक दूसरे के साथ-साथ LLP के प्रति अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्थापित करता है।

* **LLP समझौतों के प्रकार :-** LLP समझौते के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है :

LLP समझौते के प्रकार

- (1) समान अधिकार LLP
- (2) विभेदक अधिकार LLP

LLP समझौते के प्रकारों का वर्णन :- LLP समझौते के प्रकारों का वर्णन नीचे निम्न प्रकार से किया गया है :

(1) समान अधिकार LLP :- समान अधिकार LLP में, सभी साझेदार LLP के लिए समान पूंजी, समय तथा प्रयास लगाते हैं। सभी को समान रूप से भुगतान किया जाता है तथा लाभ - हानि को समान रूप से विभाजित किया जाता है, निर्णय आपसी सहमति से लिये जाते हैं।

(2) विभेदक अधिकार LLP :- विभेदक अधिकार LLP में, प्रत्येक साझेदार द्वारा अंशदान की जाने वाली पूंजी, प्रयास तथा समय की मात्रा के साथ - साथ उनके दायित्व का स्तर भी अलग - अलग होता है।

* LLP समझौते की विषय - वस्तु :- LLP को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, एक अच्छी तरह से संरचित तथा संक्षिप्त रूप से बताया गया समझौता आवश्यक है। प्रत्येक LLP विलेख / LLP अनुबन्ध प्रारूप में निम्नलिखित खंड शामिल हैं :

(1) LLP का नाम।

(2) सममौते की तिथि तथा सममौते के पक्षकार।
(3) परिचयात्मक प्रावधान।
(4) व्यवसाय का स्थान।
(5) व्यावसायिक गतिविधि।
(6) अवधि।
(7) लेखांकन एवं अंकेक्षण आदि।
(8) आवंटन एवं वितरण।
(9) साझेदारों का पृथक्करण।
(10) प्रबंधन एवं प्रत्ययी कर्तव्य।
(11) मध्यस्थता एवं सामान्य प्रावधान।
(12) अभिलेख रखना तथा बैंक व्यवस्था।

LLP सममौते की विषय-वस्तु का वर्णन :-

LLP सममौते की विषय-वस्तु का वर्णन नीचे निम्न प्रकार से किया जा रहा है :-

(1) LLP का नाम :- अधिनियम 2008 के अनुसार नाम LLP, या सीमित दायित्व साझेदारी के साथ समाप्त होना चाहिए।

(2) सममौते की तिथि तथा सममौते के पक्षकार :- साझेदारी के सम्मेलन के बाद, LLP अधिनियम, 2008 के

अनुसार, समझौते को 30 दिनों के अन्दर औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए।

(3) परिचयात्मक प्रावधान :- इस खंड में LLP समझौते के अन्दर उपयोग की जाने वाली सभी शब्दावली की परिभाषाएँ शामिल है।

(4) व्यवसाय का स्थान :- LLP समझौते में व्यवसाय के स्थान के रूप में LLP का पंजीकृत कार्यालय शामिल होना चाहिए।

(5) व्यावसायिक गतिविधि :- LLP जिन व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होगी, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए।

(6) अवधि :- यदि LLP एक निर्धारित अवधि के लिए स्थापित किया गया है, तो वह समय अवधि निर्दिष्ट की जानी चाहिए, जिसके बाद LLP को भंग कर दिया जाना चाहिए।

(7) लेखांकन एवं अंकेक्षण आदि :- इसमें यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या वे नकद या उपार्जित आधार का पालन करते हैं लेखांकन अभिलेख बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

~~(8) साझेदारों का अंशदान~~

(8) आवंटन एवं वितरण :- यह सभी साझेदारों के लिए लाभ - साझाकरण संरचना के साथ - साथ वितरण, जैसे अंतरिम वितरण या अंतिम वितरण को निर्दिष्ट करता है।

(9) साझेदारों का पृथक्करण :- यह LLP समझौते के महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। यह उन मानदंडों को रेखांकित करता है जिसके अंतर्गत साझेदार LLP छोड़ सकते हैं या इससे अलग हो सकते हैं।

(10) प्रबंधन एवं प्रत्ययी कर्तव्य :- यह LLP के उत्तरदायित्व के प्रबंधन के साथ - साथ LLP की संवेदनशील सूचना की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी

व्यक्ति के चयन पर भी विचार करता है।

(11) <u>अभिलेख रखना तथा बैंक व्यवस्था</u> : इन कार्यों में पुस्तकों एवं अन्य प्रासंगिक कागजी कार्रवाई का रखरखाव, संग्रहण तथा अभिलेख रखना शामिल है।

(12) <u>मध्यस्थता एवं सामान्य प्रावधान</u> : यह खंड दर्शाता है, कि पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति में, एक मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्त किया जाएगा। यह अनुभाग चुने गए मध्यस्थ / मध्यस्थों की पहचान के साथ-साथ उन योग्यताओं को भी निर्दिष्ट करता है, जो नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ के पास होनी चाहिए।

Ques 3. समझौता एवं अनुबन्ध के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए ?

Ans **समझौता एवं अनुबन्ध :-** सभी समझौते अनुबन्ध नहीं होते है परन्तु सभी अनुबन्ध समझौते होते हैं। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अनुसार कानून द्वारा प्रवर्तनीय समझौता एक अनुबन्ध होता है।

समझौता एवं अनुबन्ध के मध्य अन्तर :-

	अन्तर का आधार	समझौता (Agreement)	अनुबन्ध (Contract)
1.	अर्थ	जब कोई प्रस्ताव किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसे यह किया गया है तो उसे समझौता कहा जाता है।	जब कोई समझौता कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है, तो वह एक अनुबन्ध बन जाता है।
2	प्रवर्तनीयता	सभी समझौते कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते है।	सभी अनुबन्ध देश के कानून के प्रावधान के अन्तर्गत प्रवर्तनीय होते है।
3.	अन्य में एक	सभी समझौते अनुबन्ध नहीं होते है।	सभी अनुबन्ध समझौते होते है।

4.	बाध्य	एक समझौता बाध्यकारी अनुबन्ध नहीं होता है।	एक अनुबन्ध सम्बन्धित पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होती है।
5.	क्षेत्र	एक समझौते का क्षेत्र अनुबन्ध की तुलना में व्यापक होता है।	एक अनुबन्ध का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि केवल वैधानिक समझौते ही अनुबन्ध बनते है।
6.	प्रकृति	समझौते वैधानिक या अवैधानिक हो सकते है।	एक अनुबन्ध केवल वैध हो सकता है।
7.	वैधानिक दायित्वों का निर्माण	एक समझौता वैधानिक दायित्व या कर्तव्य बना भी सकता है तथा नहीं भी। जब समझौते अनैतिक या अवैध होते है, तो पक्ष निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं होते है।	एक अनुबन्ध वैधानिक दायित्व या कर्तव्य का निर्माण करते है।

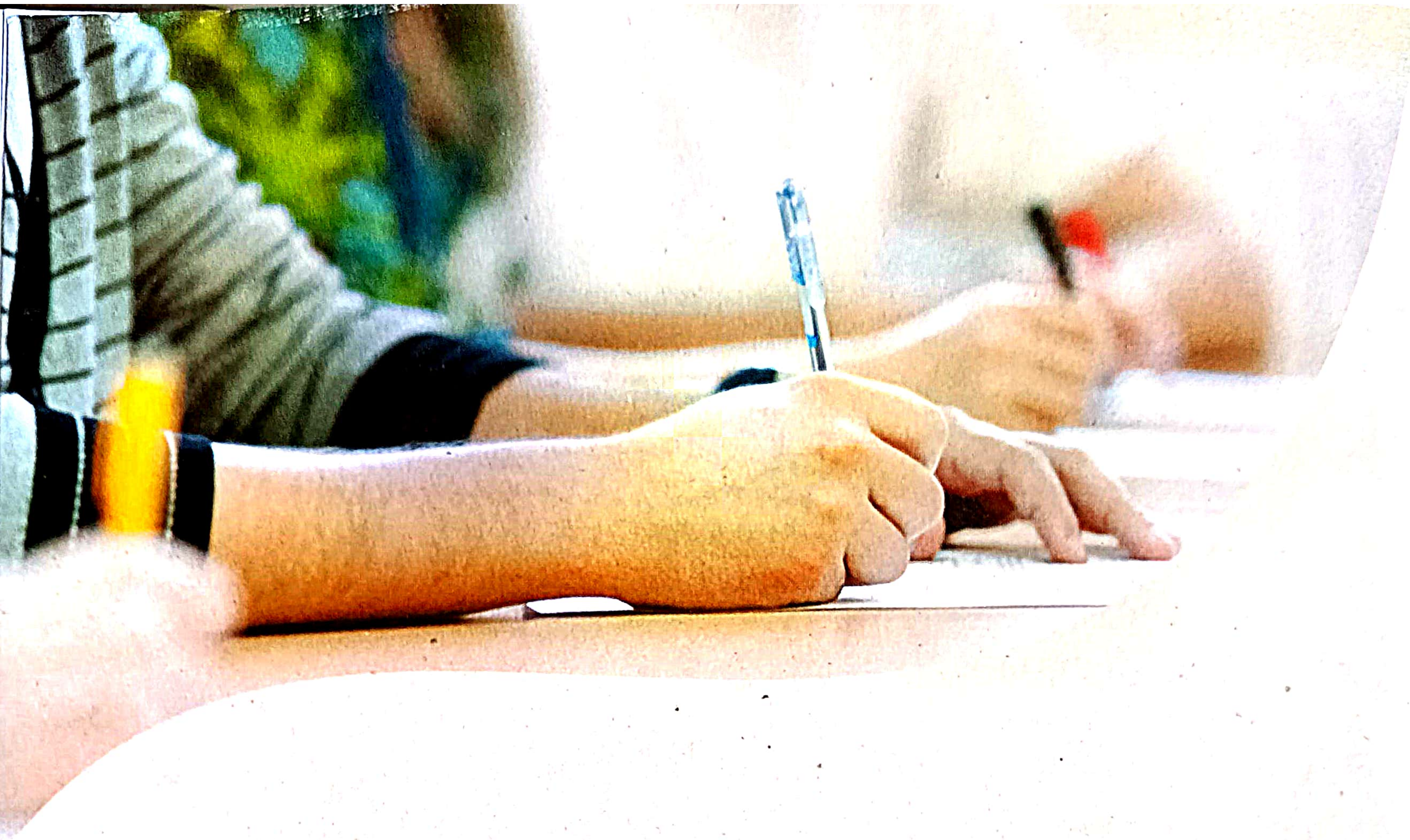

R.K.
GROUP OF COLLEGE

Behind Kalwar Police Station, Kalwar, Jaipur (Raj.)